

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2020

1. दिनांक 24.09.20 को वादी श्री मातादीन पाण्डेय पुत्र शिव नारायण पाण्डेय नि० इस्माईल नगर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या एनएल 01 एन 2537 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 433/20 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 24.09.20 को वादी श्री कुवर बहादुर सिंह पुत्र भागीरथी सिंह नि० पमोली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एडी 1127 का चालक अंगद कोरी पुत्र हृदय राम कोरी पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे पुत्र को गम्भीर चोटे आना व मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 322/20 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 24.09.20 को वादी श्री श्रवण कुमार अवर अभियंता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बाबा बाजार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवानन्द सिंह पुत्र शिव मोहन सिंह नि० लोधौरा मजरे अमराई गांव थाना मवई अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा दूसरे व्यक्ति का कनेक्शन काटने का दबाव बनाना, मना करने पर गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना तथा मेज पर रखे सरकारी प्रपत्र को फाड़ देना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 426/20 धारा 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 24.09.20 को वादी श्री राम अचल पुत्र राम सेवक नि० दुर्गन थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र सियाराम नि० दुर्गन थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 04 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 267/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।